संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष :0755-2550909, 2550918 फैक्स 0755-2550912
www.mpwcdmis.gov.in icpsbhopal@gmail.com

क्रमांक/ICPS/23/ 64 भोपाल दिनांक 18/5/2023

आदेश

--00--

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शिकायतों हेतु संचालनालय के आदेश दिनांक 14.07.2022 से ग्रीवांस सेल का गठन किया गया है।

ग्रीवांस सेल में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी अपर संचालक, समेकित बाल संरक्षण योजना को नियुक्त किया जाता है।

(डॉ. राम राव भोंसले)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

पृ0 / क्रमांक / ICPS / 2023 65 भोपाल, दिनांक .2023

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, म.बा.वि. संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि. जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश
18/5/23

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष :0755-2550909, 2550918 फैक्स 0755-2550912
icpsbhopal@gmail.com
www.mpwcdmis.gov.in

क्रमांक/ICPS/22/659 भोपाल दिनांक 14/7/2022

आदेश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् गठित बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु निम्नानुसार ग्रीवांस सेल का गठन किया जाता है:-

क्र	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	संपर्क क्रमांक	नीतिगत मुद्दे/मार्गदर्शन का विषय
1	श्री आशीष सिंह, सहायक संचालक	9425029845	सम्प्रेक्षण गृह, विशेषगृह सुरक्षित स्थान, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति या अन्य संबंधित मुद्दे/विषय।
2	श्रीमती यज्ञा मेढ़ा सहायक संचालक	8305127766	दत्तक ग्रहण, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, पालना, कारा, सारा, ऑफ्टर केयर, चाइल्ड लाइन, विशेष पुलिस इकाई, ट्रेक द मिसिंग चाईल्ड, प्रशिक्षण, पॉक्सों, व्यवसायिक प्रशिक्षण।
3	श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी	9893095804	स्ट्रीट चिल्ड्रन, भिक्षावृत्ति अभियान, बालगृह, खुला आश्रयगृह, कोविड बाल सेवा योजना, पी.एम. केयर्स, राज्य के बाहर बालकों का स्थानंतरण, स्पॉन्सरशिप, निजी स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, बाल स्वराज पोर्टल।

इस ग्रीवांस सेल से संबंधित शिकायतें राज्य बाल संरक्षण इकाई के Email-scpshelpline@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

(डॉ. राम राव भोंसले)
संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

पृ0/क्रमांक/ICPS/2022 660 भोपाल, दिनांक 14/7/2022

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अशासकीय सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

8. शासकीय / अशासकीय बाल देखरेख संस्था जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

9. श्री विवेक तिवारी, लेखाधिकारी समेकित बाल संरक्षण योजना को निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित मेल आईडी से मेल प्राप्त कर तत्काल संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित करें।

संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष :0755-2550909, 2550918 फैक्स 0755-2550912
www.mpwcdmis.gov.in icpsbhopal@gmail.com

क्रमांक/ICPS/22/661 भोपाल दिनांक 14/2/2022

आदेश

किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत् जिले में किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति गठन किया गया है एवं शासकीय/अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है।

राज्य में विभिन्न प्रकरणों से यह संज्ञान में आया है कि किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में नियुक्त अशासकीय सदस्यों एवं बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा प्रोटोकाल का पालन न करते हुये सीधे अनावश्यक/आपसी वाद-विवाद का पत्राचार, मार्गदर्शन, शिकायत सीधे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, किशोर न्याय समिति,माननीय उच्च न्यायालय, माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि को प्रेषित की जा रही है। यह कार्यप्रणाली उचित नही है।

अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में नियुक्त अशासकीय सदस्यों एवं बाल देखरेख संस्थाओं के लिए निम्नानुसार प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है :-

1/ किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना आदि के प्रावधानों के संबंध में सर्वप्रथम मार्गदर्शन संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त किया जाये एवं यदि मागदर्शन में संचालनालय से कार्यवाही अपेक्षित हो तो ऐसे पत्र सीधे वरिष्ठालय को प्रेषित किये जा सकते है।

2/ किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल देखरेख संस्था या अन्य के संबंध में की जाने वाली शिकायत, पत्राचार किसी व्यक्ति/संस्था की शिकायत, चाईल्ड लाईन की शिकायत या अन्य शिकायत/पत्राचार प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वप्रथम संबंधित जिला कलेक्टर/ अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई को ही प्रेषित की जाये, क्योंकि प्रायः निराकरण जिला से ही किया जा सकता है।

3/ नीतिगत मुद्दे/ मार्गदर्शन अथवा ऐसे विषय जो राज्य स्तर से संबंधित है अथवा बाल संरक्षण इकाई से संबंधित शिकायत अथवा ऐसे विषय/ शिकायत जिसका जिला स्तर से निराकरण नही हो पाया है, आदि की जानकारी राज्य बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जाये।

4/ उक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 03 के अतिरिक्त अन्य आवश्यक विषयों हेतु संपर्क यदि आवश्यक है, तो राज्य बाल संरक्षण इकाई के ग्रीवांस सेल के अधिकारियों से सम्पर्क किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

(डॉ. राम राव भोंसले)
संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

पृ0 / कमांक / ICPS / 2022 662 भोपाल, दिनांक 14/7/2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार किशोर न्याय समिति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय आयुक्त संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संभागीय संयुक्त संचालक संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का तत्काल निराकरण कर संबंधित को अवगत करना सुनिश्चित करें।
7. अशासकीय सदस्य किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. शासकीय / अशासकीय बाल देखरेख संस्था जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्री विवेक तिवारी, लेखाधिकारी समेकित बाल संरक्षण योजना को निर्देशित किया जाता है राज्य बाल संरक्षण इकाई के Email-scpshelpline@gmail.com से मेल प्राप्त कर तत्काल नियमानुसार निराकरण हेतु संबंधितों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश